न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-573-III/14

श्रीश्री धनुष धारी मंदिर कीरतपुरा , प्रबंधक कलेक्टर छतरपुर ,

द्वारा पुजारी फूलचंद तिबारी तनय श्री नाथूराम तिबारी

निबासी ग्राम बरा, तहसील जिला छतरपुर म0 प्र0

............आवेदक

विरूद्ध

मुकुटप्रसाद तनय राजाराम अरजरिया ,

निबासी ग्राम बरा, तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म0 प्र0

.... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना हैः–

1 यह कि आवेदक यह निगरानी नायब तहसीलदार महोदय महेवा जिला छतरपुर द्वारा प्र0 क0 02/अ–03/10–11 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 19/11/2010 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथपत्र के संलग्न है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक मंदिर के नाम से उपरोक्त ग्राम में विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी दर्ज है जिसमें कलेक्टर महोदय प्रबंधक हैं । उपरोक्त भूमि के कुछ खसरा नंबरों पर रिस्पॉ0 द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रख है। रिस्पॉ0 द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि की तरमीम वावद प्रस्तुत किया तथा आवेदक एवं प्रबंधक कलेक्टर महोदय को सूचना प्रदान किये बगैर ही पटवारी व रानि से मिलकर उल्टी तरमीम करवा ली। **जिसकी** अपील त्रुटिवश आवेदक द्वारा अनु0 अधिकारी महोदय छतरपुर के **न्यायालय** में की गई

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 573–तीन/2014 जिला छतरपुर

श्रीश्री धनुष धारी मंदिर कीरतपुरा विरूद्ध मुकुटप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार महेबा जिला छतरपुर के नक्शा तरमीम प्रकरण कमांक 02/अ–3/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 19–11–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	